## राजस्थान सरकार
**अधीक्षक एवं सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पी.बी.एम. सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर**

क्रमांक :- रामेरिसो/पी.बी.एम./2023/50383 दिनांक : 19.12.2023

**ई-बोली आमंत्रण सूचना ( E-NIB No 28/ 2023-24 ]**

इस चिकित्सालय के विभिन्न विभागों में अनुपलब्ध जाँच की आउटसोर्सिंग के लिए दोहरी बिड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) से प्रस्तावित दर संविदा/निविदा के लिए इच्छुक बोलीदाता दिनांक 27.12.2023 से 11.01.2024 सांय 5.00 बजे तक निविदा डाउनलोड/अपलोड कर सकते है। बोली आमंत्रण सूचना की महत्वपूर्ण शर्तें व पूर्ण विवरण **"http://eproc.rajasthan.gov.in"** तथा, **"http://sppp.rajasthan.gov.in"** पर देखी जा सकती है। ई-बोली की अनुमानित लागत 200 लाख है।

**UBN NO.** MCB2324WSRC00220

हस्ता./-
अधीक्षक एवं सदस्य सचिव,
राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी,
पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर

DIPR/c/16391/2023

## सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आदेश 5 नियम 1 व 5)

**समक्षः न्यायालय उदय प्रताप सिंह पीठासीन अधिकारी, कामर्शियल कोर्ट द्वितीय, (जिला पंचायत भवन), निकट कोतवाली कासना, गौतम बुद्ध नगर।**

मूल वाद संख्या 608/2018

पंजाब एवं सिंध बैंक एक बाडी कार्पोरेट है जो कि बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजिशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डरटेकिंग अधिनियम 1980) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है और जिसका मुख्य कार्यालय 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली है और जिसकी कई अन्य शाखायें हैं। जिसमें से एक शाखा मुरादनगर गाजियाबाद में है, द्वारा प्रबंधक श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री कालू राम सीनियर मैनेजर पंजाब एवं सिंध बैंक, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उम्र 51 वर्ष आधार संख्या–316841093344, मो०–9990659176, एवं श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री करन वशिष्ठ प्रबंधक पंजाब एवं सिंध बैंक, मुरादनगर, गाजियाबाद, उम्र 30 वर्ष आधार संख्या–420937319696, मोबाईल संख्या–9410229493, ईमेल आई.डी. psb1987@gmail.com. .....वादी

बनाम

1. **श्री संदीप सिंह वीर पुत्र श्री वीर सिंह** निवासी फ्लैट नं०. सी–1516, प्रतीक फेडोरा निकट साई मन्दिर, स्थिति जी.एच. प्लॉट नं० ई–11, सेक्टर–61, नोएडा, जी. बी. नगर उ.प्र. (व्यस्क)।
   **दूसरा पताः श्री संदीप सिंह वीर पुत्र श्री वीर सिंह** निवासी फ्लैट/मकान नं.पी–09, सेक्टर–23, संजय नगर, गाजियाबाद उ. प्र. (व्यस्क)।
   **तीसरा पताः श्री संदीप सिंह वीर पुत्र श्री वीर सिंह** निवासी कार्यस्थल मैसर्स बायकाम्प आई.टी. सॉल्यूशन प्रा० लि० स्थिति 738, सैकेण्ड फ्लोर, नीति खण्ड-I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।
2. **श्रीमती रीना रॉय पत्नी श्री संदीप सिंह वीर** फ्लैट नं०. सी–1516, प्रतीक फेडोरा निकट साई मन्दिर, स्थिति जी.एच. प्लॉट नं० ई–11, सेक्टर–61, नोएडा, जी. बी. नगर।
   **दूसरा पताः श्रीमती रीना रॉय पत्नी श्री संदीप सिंह वीर** निवासीः फ्लैट/मकान नं० पी–09, सेक्टर–23, संजय नगर, गाजियाबाद उ. प्र. (व्यस्क)।
   **तीसरा पताः श्रीमती रीना रॉय सिंह पत्नी श्री संदीप वीर** निवासीः कार्यस्थल सरकारी अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय, अन्नारगढ़ जेवर, जिला जी बी नगर।
3. **श्री अमित कुमार पुत्र श्री रनवीर सिंह** निवासीः मकान नं० 1180/4आर, सेक्टर–4आर, आवास विकास कालोनी सिकंदरा, जगदीशपुरा, आगरा–282007, उ. प्र. (वयस्क)।
   **दूसरा पताः श्री अमित कुमार पुत्र श्री रनवीर सिंह** निवासीः फ्लैट नं० 915, प्रतीक फेडोरा, निकट सांई मन्दिर, स्थिति जी.एच. प्लॉट नं० ई–11, सेक्टर–61, नोएडा, जी. बी. नगर।
   **तीसरा पताः श्री अमित कुमार पुत्र श्री रनवीर सिंह** निवासीः कार्यस्थल मैसर्स बायकाम्प आई.टी. सॉल्यूशन प्रा० लि० स्थिति 738, सैकेण्ड फ्लोर, नीति खण्ड-I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (वयस्क)।

..... **प्रतिवादी**

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत धनवसूली अंकन 9,91,983/– रुपये दायर किया है लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 06.02.2024 बवक्त 10 बजे दिन के असालतन या मार्फत अधिवक्ता के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम कुतलिल्लका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात दे सके हाजिर हो और जवाब देही दावा की करें, और आपका लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तदमाल करना चाहते हों।

आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आप मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 20.12.2023 जारी किया गया।

**आदेशानुसार मुन्सरिम,**
**न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट द्वितीय, गौतमबुद्धनगर**

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष
## इलाहाबाद बेंच, प्रयागराज

कंपनी याचिका - सीपी (सीएए) सं. 25/एएलडी/2023
से सम्बंधित
कंपनी आवेदन - सीए (सीएए) संख्या 23/एएलडी/2023
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में, कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित
और
समामेलन की योजना के मामले में

**मेसर्स अमृत एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड,** कंपनी अधिनियम, 1956 (अब 2013) के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीएम-28 (प्रथम तल), गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जीटी रोड, गाजियाबाद - 201009, उत्तर प्रदेश में है।

.....(हस्तांतरणकर्ता कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी-I)

और

**मेसर्स अमृत कॉर्प. लिमिटेड,** कंपनी अधिनियम, 1913 (अब 2013) के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय सीएम-28 (प्रथम तल), गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जीटी रोड, गाजियाबाद - 201009, उत्तर प्रदेश में है। .

.....(हस्तांतरिती कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी-II)

**(याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 1 और 2 को सामूहिक रूप से "याचिकाकर्ता कंपनी" कहा जाता है)**

**याचिका की सुनवाई की सूचना**

ध्यान दें कि उपरोक्त याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 से 232 और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पढ़े गए अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक संयुक्त कंपनी याचिका संख्या सीपी (सीएए) संख्या 25/एएलडी/2023 से सम्बंधित कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) संख्या 23/एएलडी/2023 राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ प्रयागराज ("माननीय न्यायाधिकरण") के समक्ष 12 दिसंबर, 2023 को अमृत कॉर्प लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ अमृत एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समामेलन की योजना की मंजूरी मांगने के लिए प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायाधिकरण ने 20 दिसंबर, 2023 के एक आदेश द्वारा, उक्त याचिका पर सुनवाई के लिए **गुरुवार, 22 फरवरी, 2024 की तारीख** तय की।

उक्त संयुक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता (अधोहस्ताक्षरी) को अपने पूरे नाम और पते के साथ अपने या अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे इरादे की सूचना भेजनी चाहिए ताकि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से 2 (दो) दिन पहले अधोहस्ताक्षरी तक पहुंचें, जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है। विरोध के आधार या याचिका के विरोध में इस्तेमाल किए जाने वाले उसके हलफनामे की एक प्रति, ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले तक ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी।

हस्ता /-
(अनिल कुमार)
प्रैक्टिस में कंपनी सचिव
(अधिकृत प्रतिनिधि)
एफसीएस-5693, सी.पी.नं. 5592
सी-03, दूसरी मंजिल, विनायक सिटी स्क्वायर, 7/9,
एस.पी. मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211001 (यू.पी.)
मोबाइल:+91-9415306147
ईमेल आईडी-purswanianil@gmail.com

दिनांक: 28 दिसंबर, 2023
स्थान: गाजियाबाद

## श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड
सीआईएन नंबरः L65191TN1979PLC007874

पंजीकरण कार्यालयः श्री टावर, प्लॉट नं.14ए, साउथ फेज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई • 600032. तमिलनाडु। प्रशासनिक कार्यालय' लेवल 2, 6वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 02, ऑरम 0 पार्क, जनरल 4/1, टीटीसी, ठाणे बेलापुर रोड, घनसोली, नवी मुंबई - 400710

**गोल्ड लोन नीलामी सूचना**

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) से उनके द्वारा लिए गए सोने के आभूषणों के बदले ऋण ("सुविधा") के लिए उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। चूंकि उधारकर्ता सुविधा के तहत अपना बकाया चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए हम 16.01.2024 को गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी आयोजित करेंगे। यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। यदि नीलामी के बाद उन्हें घाटा होता है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। एसएफएल के पास निम्नलिखित में से किसी भी खाते को बिना पूर्व सूचना के नीलामी से हटाने का अधिकार है।

| लोन संख्या | पार्टी का नाम | नीलामी यहां आयोजित की जाएगी:– |
|---|---|---|
| CDGHAPJ2303010005 | गुड्डु कुमार | गाजियाबाद शाखा कार्यालयः– प्लॉट नंबर 507 प्रथम तल, सचिन कॉम्प्लेक्स, भाटिया मोड़, गाजियाबाद–201001) नीलामी का समयः सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। |

कृपया ध्यान दें कि यदि समय सीमा या किसी अन्य कारण से नीलामी उसी दिन पूरी नहीं होती है तो नीलामी अगले कार्य दिवसों पर समान नियम और शर्तों पर जारी रहेगी।

**यदि ग्राहक की मृत्यु हो गई है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उसके कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी। अधिक जानकारी, शर्तों और शर्तों के लिए और नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने के लिए इच्छुक खरीदार संपर्क कर सकते हैं – श्री सचिन चौधरी (9999130183) और श्री दीपक कुमार शर्मा (9729220525) एसएफएल**

दिनांकः 30.12.2023
स्थानः गाजियाबाद

श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड
(नीलामीकर्ता)
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

## इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड
औडुंबर, भूखंड सं. 101/1, इरेंडवाने, डा. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

**मांग सूचना**

**विषय : वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफॉएसि अधिनियम, 2002") की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत पहले ही विस्तृत मांग सूचना दिनांकित निम्नानुसार निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता(ओं) / सह–ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में एक साथ "दायित्वधारकों" के रूप में संदर्भित) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों), यहां नीचे सूचीबद्ध, को संबंधित मांग सूचना में अंकित राशि का संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारक(गण) / विधिक उत्तराधिकारी(गण) / विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे इच्छुक हैं, संबंधित प्रति को अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे ईएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां इसमें निम्न तालिका में उल्लिखित राशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, स्तंभ (घ) में निम्नांकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूलीकरण की तिथि तक आकलित निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ, भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को ईएफएल के पास क्रमशः बंधक रखा गया है :

| दायित्वधारी(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम / ऋण खाता सं. | दुकान / संपत्ति की अनुसूची | निम्न तिथि के अनुसार कुल बकाया देयराशि (रु.)* | मांग सूचना की तिथि तथा एनपीए की तिथि |
|---|---|---|---|
| **1. बालाजी ट्रेडिंग कंपनी,** मकान नंबर–117 नवादा तिगांव, फरीदाबाद, हरियाणा–121004<br>**2. दिनेश,** मकान नंबर–117 नवादा, सरकारी स्कूल नवादा के समीप, फरीदाबाद, हरियाणा–121004<br>**3. ब्रह्म जीत सिंह,** ग्राम नवादा तिगांव (84), फरीदाबाद, हरियाणा–121004<br>**4. सुनीता,** 117 नवादा (84), बड़ी चौपाल के पास, फरीदाबाद, हरियाणा–121004<br>ऋण खाता संख्या : **APPL00012287 (LOAN000005005743)** | एक संपत्ति / प्लॉट क्षेत्र माप 10 मरला अर्थात् 300 वर्ग गज, 1 कनाल 4 मरला में से, 6 कनाल 2 मरला का 83/417वां हिस्सा, खेवट / खाता नंबर 103/116 का हिस्सा, खसरा नंबर 13/5/1 पर, जो ग्राम नवादा तिगांव की राजस्व संपदा, तहसील बल्लभगढ़, जिला–फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। (यहां इसमें इसके पश्चात् "उक्त संपत्ति" संबोधित और यह निम्नानुसार परिसीमित है :– सीमाएं : उत्तर– जगदीश की संपत्ति, दक्षिण– सड़क 25 फुट, पूर्व– प्रवेश/15 फुट सड़क, पश्चिम– रणजीत की संपत्ति। | **रु. 36,61,465/–** (रुपये छत्तीस लाख इकसठ हजार चार सौ पैंसठ मात्र) 28–12–2023 के अनुसार | **28-12-2023 05-09-2023** |
| **1. रणजीत टॉयज,** दुकान नंबर 203 प्लॉट नंबर 2426/36, पंडित महा सिंह कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार दिल्ली, उत्तर–पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110006<br>**2. रोशन, 3. सोनी कुमारी, 4. रंजीत, क्रमांक 2 से 4 का पता :** मकान नंबर बी–63 गली नंबर 7, खजूरी खास उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110094<br>ऋण खाता संख्या : **APPL00029720 (LOAN000005012308)** | प्राइवेट नं. 214 धारक एक दुकान के समस्त वह भाग तथा अंश जो द्वितीय तल पर, छताधिकारों के बिना, संपत्ति सं. 2426 से 2436/214 के रूप में, वार्ड नंबर XIII, तेलीवाड़ा, उत्तरी सदर बाजार, उत्तर पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110006 में स्थित है तथा वह निम्नानुसार परिसीमित है :– सीमाएं : उत्तर– संपत्ति संख्या 215, दक्षिण– अन्य संपत्ति, पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– प्रवेश। | **रु. 46,73,368/–** (रुपये छियालिस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) 28–12–2023 के अनुसार | **28-12-2023 05-09-2023** |

*ऊपर अंकित संबंधित मांग सूचना उपरांकित दिनांक में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार ईएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो ईएफएल उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के संपूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अधीन कार्रवाई करेगी। उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे ईएफएल की पूर्व लिखित अनुमति–सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

**दिनांक : 01–01–2024** हस्ता./– **प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थान : नई दिल्ली** **कृते इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड**

## आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
**पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात– 362266**
**शाखा कार्यालय– डी–17, बेसमेंट, सेक्टर 3, नोएडा, यूपी 201301**

**परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें)**
**कब्जा–सूचना (अचल संपत्ति के लिए)**

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान की मांग की है।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निम्न वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन निम्न वर्णित राशि और उस पर ब्याज की राशि हेतु आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**1. उधारकर्ता का नामः अनिल कुमार, अनिता सब्बरवाल**
**बकायाः रु. 46,46,936.93/–** (रुपए छियालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ छत्तीस और तिरानबे पैसे मात्र)
**मांग सूचना दिनांकः 13–05–2021,** **कब्जे की तिथिः 29–12–2023**
**अचल संपत्ति का विवरणः**
फ्लैट नंबर 605, 6वीं मंजिल, टॉवर–जॉली, सिक्का कामना ग्रीन्स, प्लॉट नंबर जीएच–03 (बी), सेक्टर नंबर 143, एफएनजी और एक्सप्रेसवे नोएडा (यूपी) –201301 वाली संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश।

**2. उधारकर्ता का नामः मोहन लाल लोहिया, रॉबिन लोहिया, रॉयल इंटरनेशनल**
**बकायाः रु. 45,40,412/–** (पैंतालीस लाख चालीस हजार चार सौ बारह रूपये मात्र)
**मांग सूचना दिनांकः : 21–05–2021** **कब्ज़ा की तिथि : 29.12.2023**
**अचल संपत्ति का विवरणः**
सिक्का कामना ग्रीन्स, एफएनजी और एक्सप्रेसवे, फ्लैट नं.1404 प्लॉट नं. जीएच–03बी सेक्टर–143 नोएडा, 14वीं मंजिल टॉवर–जॉली, नोएडा सेक्टर 16 एस.ओ., गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश , भारत–201301 में स्थित फ्लैट में निर्माण के साथ सभी टुकड़े और अंश।

**3. उधारकर्ता का नामः नीटू जगवीर सिंह, देवेन्द्र प्रताप सिंह**
**बकायाः रु. 56,44,761/–**(छप्पन लाख चौवालीस हजार सात सौ इकसठ रूपये)
**मांग सूचना दिनांकः 30–06–2021** **कब्ज़ा की तिथि : 29.12.2023**
**अचल संपत्ति का विवरण**
फ्लैट नं.1602, 16वीं मंजिल, टावर डिग्निटी, सिक्का कर्णम ग्रीन्स, प्लॉट नं.जीएच–01–ए, सेक्टर नंबर 143बी, एक्सप्रेसवे और एफएनजी नोएडा यूपी–201301 में स्थित फ्लैट का समस्त हिस्सा और अंश।

**दिनांकः 29.12.2023** **प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थानः ग्रेटर नोएडा** **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

## गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीटी. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे–411036

परिशिष्ट IV
(नियम 8(1) देखें)
**अधिग्रहण सूचना**
**(अचल संपत्ति हेतु)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात पंजीकृत हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में परिवर्तित हो गया है) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात तथा मूलतः जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमीकृत), (यहां इसमें इसके उपरांत उपरोक्त निगमित/पंजीकृत कार्यालय के प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निम्न दिनांकित निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां निम्न प्रदर्शित तालिका में अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन निर्धारित बकाया राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु प्रतिभूत ऋणदाता के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। अधिग्रहण में ली गयी संपत्ति के विवरण यहां इसमें निम्न प्रदर्शित तालिका में प्रस्तुतानुसार हैं :

| क्र. सं. | उधारकर्ताओं के नाम | संपत्ति का विवरण | अधिग्रहण लिये जाने की तिथि | सांविधिक मांग सूचना की तिथि | मांग सूचना में राशि (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रानी देवी, खगेश कुमार सिंह | खेत नंबर 255 के समस्त वह भाग तथा अंश जो ग्राम कुलेसरा, अधिमापन :– 60 वर्ग गज, परगना दादरी, तहसील एवं जिला गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर – 201306, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। | 26.12.2023 | 11/10/2023 | ~~ऋण संख्या LAP02452000000005001853 रु. 720547/–~~ (रुपये सात लाख बीस हजार पांच सौ सैंतालीस मात्र) 11/10/2023 के अनुसार देय, वसूलीकरण तक 16 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित। |
| 2. | दोड्डी सुरेश कुमार, दीपाली | संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो गली नंबर 7, देवेंदर कॉलोनी, अधिमाप 40 वर्ग गज, विमला विहार एक्सटेंशन–2, आंटी फार्म, तहसील–दादरी, जिला–जीबी नगर, यूपी–201306 में स्थित है। | 26.12.2023 | 11/10/2023 | ~~ऋण संख्या HL00559000000005000860 रु. 1536074/–~~ (रुपये पन्द्रह लाख छत्तीस हजार चौवहत्तर मात्र) 11/10/2023 के अनुसार देय, वसूलीकरण तक 11 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित। |
| 3. | सुरेश, सुनीता | ~~प्लॉट नंबर 179 पर निर्मित भू.तल पर आवासीय फ्लैट नंबर जीएफ–1 के समस्त वह भाग तथा~~ अंश, जिसका निर्मित क्षेत्राधिमापन 63 वर्ग फुट है, जो खसरा नंबर 301 के अंतर्गत, आकाश विहार कॉलोनी (आकाशवाणी), ग्राम सदुल्लाबाद परगना और तहसील लोनी जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित है, तथा भूमि / फ्लैट / भूखंड की सीमाएँ निम्नानुसार हैं :– पूर्व : प्लॉट संख्या 180, पश्चिम : प्लॉट संख्या 1/8, उत्तर : अन्य प्लॉट, दक्षिण : 30 फुट सड़क। | 27.12.2023 | 11/10/2023 | **ऋण संख्या HL00559000000005000860 रु. 1536074/–** (रुपये पंद्रह लाख छत्तीस हजार चौवहत्तर मात्र) 11/10/2023 के अनुसार देय, वसूलीकरण तक 11 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित। |

दिनांक : दिल्ली
**दिनांक : 01-01-2024**

प्राधिकृत अधिकारी
**गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,**
**(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)**

## अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत **आईआईएफएल होम फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनांस लि.)** (**आईआईएफएल–एचएफएल**), कॉर्पोरेट कार्यालय : **प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गाँव–122015 (हरियाणा)** तथा शाखा कार्यालयः "ऑफिस नं. 30/3ए, ऊपरी भूतल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शो रूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली"/"यूनिट नं. 309, तीसरा तल, पद्म बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. आईएनएस–1, सेक्टर 12ए, आवास विकास, सिकन्दरा योजना, आगरा–282007" के पास गिरवी अचल सम्पत्ति की बिक्री। आईआईएफएल–एचएफएल के बकाये की वसूली के लिये "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है आधार" तथा "उपचार–रहित आधार" पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट नं. में अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुपालन में जैसा कि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्न सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी के द्वारा वेबसाईटः www.iiflonehome.com में दी गई ई–नीलामी प्लेट फार्म के द्वारा की जाएगी।

| ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/गारंटरों का नाम | मांग सूचना तिथि एवं राशि | अचल सम्पत्ति